113

नि0 1112-I/15

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर संभाग सागर

सुरेश कुमार पिता नर्मदा प्रसाद उपाध्याय

नि. सिविल लाईन सागर तह. व जिला सागर

- पुनरीक्षणकर्ता

।। विरुद्ध ।।

म0प्र0 शासन - अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

श्री कुंवरसिंह कुशवाह आदि द्वारा आज दि. 19-5-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षणकर्ता यहपुनरीक्षण अपर कलेक्टर सागर के पुनरीक्षण प्र.क्र. 33अ-6 वर्ष 11-12 मे पारित आदेश दिनांक 19.3.15 से परिवेदित होकर सफल आधारों पर प्रस्तुतकर रहाहै:-

।। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ।।

इस प्रकार है कि आवेदक सुरेश कुमार पिता नर्मदा प्रसाद उपाध्याय द्वारा एक आवेदन पत्र पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.12.07 के आधार परमौजा बामोरा प.ह.नं. 76 स्थित भूमि ख.नं. 158/2, जिसका नया नम्बर 202/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर वसीयतनामाके आधार पर नामान्तरण हेतु तहसील वृत सागरके न्यायालयमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया आवेदक द्वारा, प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा 129 दिनांक 17.12.07 के अनुसार एवं बामोरा की भूमि ख.नं. 202/1 जिसका पुराना ख.नं. 158/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर की वसीयतकी गई परन्तु वर्तमान अभिलेख मे ख.नं. 202/1 रकबा 0.10 है. वर्तमानमें होने के कारण ना0 तहसीलदार वृत सागर द्वारा उक्त ख.नं. 202/1 पर अपने पारित आदेश दिनांक 31.7.10 द्वारा उक्त खसरा नं. की भूमि पर निगरानीकर्ता का नाम किये जाने का अभिप्रारित किया परन्तु आवेदक का वसीयतनामा

कुंवरसिंह कुशवाह 1/5/2015 (अ.3.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1112/एक/2015 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदक सुरेश पिता नर्मदा प्रसाद द्वारा अपर कलेक्टर सागर के पुनरीक्षण प्र.क. 33अ–6 वर्ष 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 50 जिसे केवल आगे संहिता कहा जावेगा के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक सुरेश पिता नर्मदा प्रसाद ने अपर कलेक्टर सागर के समक्ष पुनरीक्षण प्र.क. 33अ–6 वर्ष 2011–12 के विचारण दौरान दिनांक 28.12.13 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2014 द्वारा उक्त आवेदन धारा 89, 107 म.प्र. भूराजस्व संहिता का स्वीकार कर हल्का पटवारी को मैका जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन अभिलेख सहित उपस्थित होकर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु, आदेशित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी ने दिनांक 05.02.2014 को उपस्थित होकर तुलनात्मक प्रतिवेदन नक्शा अक्श पंचनामा तहसीलदार सागर के माध्यम से प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि तुलनात्मक प्रतिवेदन एवं नक्शा अक्श नजरी नक्शा के अनुसार रिकार्ड दुरस्त किया जाना उचित होगा। क्योंकि बन्दोबस्त के पूर्व के अभिलेख से मिलान कर तैयार किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारों को आहूत कर आपत्ति आमंत्रित की गई जिसमें प्रभावित पक्षकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं उक्त आवेदन	

	पर आपत्ति इस आधार पर ली की म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत विधिवत सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय सागर के समक्ष होना चाहिये, इस कारण से आवेदक द्वारा 107 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के क्षेत्राधिकार होने के कारण निरस्त किया जाये। उक्त आपत्ति पर सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर प्रकरण 109 एवं 110 के तहत वसीयतनामा के आधार पर धारा 89 एवं 107 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा पुनरीक्षणकर्ता चाहें तो अभिलेख दुरस्ती की कार्यवाही पृथक से सक्षम न्यायालय में कर सकता है। उक्त आदेश से परिवेदित होकर उक्त आदेश दिनांक 19.03.15 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी मेमो में आवेदक द्वारा उल्लेखित किया गया कि आवेदक सुरेश पिता नर्मदा प्रसाद को रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 17.12.2007 के आधार पर मौजा बामौरा प.ह.नं. 76 स्थित भूमि ख.नं. 158/2 जिसका नया नम्बर 202/1 रकवा 0.14 हे. पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु तहसीलदार सागर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त वसीयतनामा दिनांक 17.12.2007 के अनुसार मौजा बामौरा स्थित भूमि ख.नं. 202/1 जिसका पुराना ख.नं. 158/2 रकवा 0.14 हे. की वसीयत की गई थी। उक्त वसीयत प्रमाणित होने पर ख.नं. 202/1 रकवा 0.01 हे. पर आवेदक का नाम दर्ज किया गया, शेष रकवा बन्दोबस्त त्रुटि के कारण नामान्तरण नहीं हुआ जिसे दुरस्त किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2014 को स्वीकार कर हल्का पटवारी से मौके की जाँच प्रतिवेदन उपस्थित	

 निग.- 1112.-/15

सहित आदेशित किया। उक्त बन्दोबस्त त्रुटि का तुलनात्मक प्रतिवेदन एवं नक्शा अक्श तहसीलदार के माध्यम से दिनांक 05.02.2014 को अपर कलेक्टर न्यायालय सागर में प्रस्तुत हुआ जिस पर प्रभावित पक्षकारों की आपत्ति स्वीकार कर प्रकरण को सक्षम न्यायालय में रिकार्ड दुरस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों के साथ रिमांड कर दिया जिसके विरूद्ध निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दु पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में बताया कि आवेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2007 के आधार पर मौजा बामौरा ख.नं. 202/1 पर नामान्तरण किया गया जबकि आवेदक को मौजा बामौरा के पुराने ख.नं. 158/2 का रकवा 0.14 की रजिस्टर्ड वसीयत की थी परन्तु बन्दोबस्त त्रुटि द्वारा रिकार्ड में कमी होने के कारण पूरे रकवे पर नामान्तरण नहीं हो पाया। इस कारण से आवेदक वसीयती मालिक होने के कारण अभिलेख दुरस्ती चाही है। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.12.2013 को धारा 89 एवं 107 म.प्र. भूराजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2014 द्वारा स्वीकार की जाकर बन्दोबस्त त्रुटि की कार्यवाही संधारित की एवं हल्का पटवारी से मौका जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय अभिलेखा सहित आहूत किया। उक्त प्रतिवेदन का इस न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया, इससे प्रमाणित पाया

 निग 1112-ए/15

कि उक्त प्रतिवेदन तहसीलदार के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमे उल्लेखित किया गया कि ग्राम बामौरा स्थित ख.नं. 202/1 रकवा 0.01 हे. आवेदक के वसीयतनामा के आधार पर 0.14 डि. अर्थात 0.5 हे. भूमि होने चाहिये। वसीयतकर्ता जानकारी बाई द्वारा 0.14 डि. भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत की थी जो अन्य व्यक्तियों को विक्रय उपरान्त शेष बची थी। आवेदक को स्वत्व पर प्राप्त होने वाली भूमि 0.04 हे. की कमी हो गयी है। जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में आवेदक की भूमि का क्षेत्रफल 32.38 फुट पर कब्जा पाया गया जो 0.7½ डि. होता है। अर्थात आवेदक का अभिलेख 0.4 हे. रकवा नक्शे में 0.2 हे. रकवा कम है। आवेदक के रकवे की पूर्ति ख.नं. 202/2 के रकवा 0.5 आरे में से 0.4 हे. आवेदक सुरेश कुमार पिता नर्मदा प्रसाद को देकर अर्थात 0.2 आरे रकवा लेकर की जा सकती है जो बन्दोबस्त के पूर्व के अभिलेख अनुसार है। उक्त तुलनात्मक प्रतिवेदन नक्शा अक्श एवं नजरी नक्शा जो बन्दोबस्त के पूर्व के अभिलेख से मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा उचित पाया है।

उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 19.03.2015 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सागर के माध्यम से ह.प. द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 05.02.14 जो प्रदर्श पी–1 है एवं नजरी नक्शा प्रदर्श पी–2 एवं नक्शा अक्श प्रदर्श पी–3 यथावत स्वीकृत किये जाते हैं एवं तहसीलदार सागर को मैं आदेशित करता हूँ कि मौजा बामौरा के ख.नं. 202/2 में से हल्का पटवारी का प्रतिवेदन

	नक्शा अक्श एवं नजरी नक्शा जो तहसीलदार के माध्यम से दिनांक 05.02.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उक्त अनुसार मौजा बामौरा की भूमि ख.नं. 202/2 में से 0.4 हे. भूमि आवेदक सुरेश कुमार पिता नर्मदा प्रसाद के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर नक्शा अक्श अनुसार एवं नजरी नक्शा दिनांक 05.02.2013 अनुसार रिकार्ड दुरस्त करें तत्पश्चात प्रकरण अभिलेखागार भेजें। शेष प्रभावित पक्षकार अपनी विक्रय पत्र की सीमाओं के अनुसार रिकार्ड दुरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। सदस्य	